न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका

विविध वाद सं0 02/2016–17

सुलेमान तिर्की वगैरह वनाम नरेश तिर्की वगैरह

–:आदेश :–

Serial No.	Date of order of proceding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	14.12.17	अभिलेख उपस्थापित। वाद की कार्यवाई में उभय पक्ष उपस्थित हुए। आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा कार्यवाइ में लिखित जबाब एवं कागजात दाखिल किया गया। विपक्षी द्वितिय पक्ष को बार–बार समय देने के बाद भी किसी प्रकार का स्वामित्व से संबंधित कागजात दाखिल नहीं किया जा सका। इस वाद की कार्यवाई ग्राम कालाखजुरी के खाता सं0 50 पुराना, 130 नया, प्लॉट सं0 770 पुराना, 575 नया के रकबा 73 डी0 के संबंध में चल रही है। प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद की कार्यवाई वाली भूमि जो ग्राम कालाखजुरी में स्थित है का पुराना खाता 50 पुराना प्लॉट 770 रकबा 73 डी0 पूर्व सर्वे में अतित उरांव के नामें खतियानी दर्ज है। अतित उरांव प्रथम पक्ष के पूर्वज थे। प्रथम पक्ष इस भूमि पर पूर्वज के समय से वर्तमान तक दखल कब्जे में है। इस प्लॉट के उतर व दक्षिण भाग पर प्रथम पक्ष सुलेमान तिर्की व पौलुस तिर्की का घर अवस्थित है। अतित उरांव अपनी सम्पूर्ण जमीन अपने भाईयों को सौंप दिए व आसाम राज्य चले गये। जिसके बाद इनकी नावल्द मृत्यु हो गई। इनके तीन भाई 1. जोगिया उरांव 2. सारहा उरांव 3. गोसाई उरांव उर्फ गोविन्द उरांव सम्पूर्ण भूमि के उतराधिकारी हुए। प्रथम पक्ष क्र0 1 सुलेमान तिर्की रामदेला उरांव के पुत्र है व गोसाई उरांव उर्फ गोविन्द उरांव के पोता है। तथा क्र0 2 पौलुस तिर्की, रेंगटु उरांव के पुत्र है व सारहा उरांव के पोते है। द्वितिय पक्ष के सदस्य अतित उरांव या इनके तीनों भाईयों के बंशवृक्ष में से नही है। अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के न्यायालय में केश सं0 92/1970 चला जिसमें प्रेमदास उरांव पिता जोगिया उरांव द्वारा दाखिल आवेदन पर आदिवासी भूमि वापसी छोटानागपुर कायस्तकारी अधिनिया के धारा 71 ए के अर्न्तगत आदेश पारीत किया गया था। इस आदेश पत्रक में अतित उरांव बहुत पहले अपनी भूमि को अपने भाईयों को देकर आसाम चले गये एवं इनके भाई ही इनके भूमि के कानूनी उतराधिकारी है। अंकित है। हालांकि यह वाद बाबुलाल साव के द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0 50/59–60 के आधार पर दर्ज मांग के विरूद्ध था जिसके आदेश पारीत होने के बाद बाबुलाल साव का मांग बंद कर दिया गया एवं वह जमीन वापस अतित उरांव के भाईयों के नामें मांग दर्ज भी हो गया परंतु यह आदेश यह भी प्रमाणित करता है कि अतित उरांव के भूमि के उतराधिकारी उनके भाई हुए। एवं प्रथम पक्ष भी उतराधिकारी है। प्रमाणित होता है। इसी वर्णित भूमि पर वि0वाद 148/2015 चली धारा 144 द0प्र0स0 के अर्न्तगत इस कार्यवाई में प्रथम पक्ष सुलेमान तिर्की वगैरह को जीत हुई एवं दिनांक 22.12.2015 को माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में अंतिम आदेश पारीत किया गया। इस वाद में अंकित भूमि प्रथम पक्ष की है। जिसका मांग प्रथम पक्ष के दोनों सदस्यों 1 सुलेमान तिर्की 2 पौलुस तिर्की के नामें दर्ज कर मालगुजारी प्राप्तकर रसीद निर्गत करने का आदेश दिये जाने हेतु प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करतें है। सभी बिन्दुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायालय पाती है कि वाद में वर्णित भूमि पूर्व सर्वेक्षण में अतित उरांव के नामें खतियानी दर्ज है। अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा पारीत आदेश जो वि0वाद 92/1970 धारा 71ए छोटा नागपुर कायस्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत सुनवाई के पश्चात आदेश पारीत किया गया से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत अतीत उरांव की नावल्द मृत्यु हो गई थी उनकी भूमि उनके भाईयों एवं भतिजों को प्राप्त हुई है। उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष अतित उरांव के सम्पति के उतराधिकारी है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी रंका के न्यायालय द्वारा वि0वाद सं0 148/15 में पारीत आदेश से भी प्रथम पक्ष सुलेमान तिर्की व पौलुस तिर्की का दखल कब्जा व हक स्पष्ट होता है। अतः समस्त विचारोपरांत एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से वाद में वर्णित भूमि जो ग्राम कालाखजुरी के खाता सं0 50 पुराना प्लॉट 770 रकबा 73 डी0 का मांग पूर्व सर्वे खतियानी रैयत के वंशज 1. सुलेमान तिर्की व 2. पौलुस तिर्की के नामें दर्ज करने एवं मालुगजारी प्राप्त कर इनके नामें मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। उपसमाहर्ता भूमि सुधार रंका।	

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.26 16:04:00 +05:30
Location: 192.168.238.59